



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1661/2010 जिला जयपुर.....

उनवान -मैसर्स सिटीकार्प फाईनेस (इण्डिया) लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत ए,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2015	<p align="center"><u>खण्डपीठ, कैम्प जयपुर</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u> <u>श्री मनोहरपुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी/वकील प्रार्थी श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी / श्री अलकेश शर्मा ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्झा करना चाहते हैं। इस बाबत् अपीलार्थी/श्री अलकेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः अपीलार्थी / श्री अलकेश शर्मा एडवोकेट का अपील विद्झा करने का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्झावल खारिज की जाती है।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="center">  (मनोहरपुरी) सदस्य </p> <p align="center">  (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष </p>	